परिपत्र संख्या 33 /10

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(63)जन/10/ 18547 दिनांकः 22/10/2010

परिपत्र

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के संबंध में।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम–47 पुस्तक संख्या III व नियम–49 के अन्तर्गत संधारित पुस्तक संख्या–iv में पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने की मांग किये जाने के संबंध में विभिन्न कार्यालयों के द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम–47 के अनुसार पुस्तक संख्या–III में पंजीकृत दस्तावेज विल और दत्तकग्रहण के प्राधिकार–पत्र का पंजीयन किया जाता है। यह पुस्तक लोक निरीक्षण के लिए खुली नहीं है, किन्तु इसमें की गई प्रविष्टियों की प्रतिलिपियाँ/दस्तावेज की प्रतियाँ दस्तावेज निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उसके अभिकर्ता और निष्पादक की मृत्यु के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के द्वारा आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम–49 के अनुसार पुस्तक संख्या–iv में पंजीकृत दस्तावेज लोक निरीक्षण के लिए खुली नहीं है, किन्तु इसमें की गई प्रविष्टियों की प्रतिलिपियाँ/दस्तावेज की प्रतियाँ दस्तावेज निष्पादित करने वाले व्यक्ति या उसके अधीन दावा करने वाले पक्षकारों या ऐसे व्यक्तियों के अभिकर्ताओं या प्रतिनिधियों के द्वारा आवेदन कर प्राप्त की जा सकती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–74 के अनुसार पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत पंजीबद्ध दस्तावेज पब्लिक डोकोमेंट्स की श्रेणी में आते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8 के अनुसार पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीबद्ध दस्तावेज छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 विशेष विधि होने के कारण पंजीयन अधिनियम, 1908 सपठित राजस्थान पंजीयन नियम–1955 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध कराने में कोई बाधा नहीं है। इसलिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पुस्तक संख्या–III व iv में पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियाँ चाहे जाने पर राजस्थान सूचना का अधिकार नियम–2005 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने पर वांछित दस्तावेज की प्रति जारी की जा सकती है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुस्तक संख्या–III में विल की प्रति सूचना के अधिकार के तहत निष्पादक के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा मांगी गई है तो ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8 (J) के अनुसार जारी करने योग्य

नहीं है। विल निष्पादक की मृत्यु के पश्चात् उक्त पंजीकृत विल की प्रति जारी की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (J) के अनुसार पंजीबद्ध मुख्त्यारनामा की प्रतियाँ चाहे जाने पर धारा–11 के अनुसार मुख्त्यारनामा के निष्पादक व हितबद्ध पक्षकार की पूर्व स्वकृति प्राप्त कर जारी की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रतियों पर यह स्पष्ट अंकित किया जावे कि उक्त प्रतियाँ सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी की गई हैं।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(63)जन/10/18548–997 दिनांकः 22/10/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर